प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 16.04.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी का छापेमारी कर किया अनावरण, अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

आज दिनांक 16.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत व अपराध के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अवैध शस्त्र की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालन की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये गांव खुरगान के जंगलों में अवैध शस्त्र बनाते 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का अनावरण किये जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का भाई फुरकान मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु थाना कैराना पुलिस द्वारा जंगलों में कम्बिंग की जा रही है, उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पकड़ी गई अवैध शस्त्र फैक्ट्री में बन रहे अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में हिंसा फैलाने एवं अपराध करने में किया जा सकता था। जिसकी रोकथाम इस कार्यवाही से की गई है। साथ ही जिनको अवैध हथियार बेचे एवं सप्लाई किए गये हैं। उनका भी पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह और उसका भाई देशी तमंचों का निर्माण कर मोटी रकम पर आस-पास के क्षेत्रों में बेच देते हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. आलिम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्तः-

1. फुरकान उर्फ बहरा पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध 18 तमंचे (14 तमंचे 315 बोर व 04 तमंचे 12 बोर)।
2. अवैध 12 जिन्दा कारतूस (06 कारतूस 315 बोर व 06 कारतूस 12 बोर)।
3. अवैध बन्दूक 12 बोर सिंगल बैरल।
4. अवैध 06 अधबने तमंचे 315 बोर।
5. अवैध 01 पौनिया 12 बोर।
6. 10 नाल (06 नाल 12 बोर, 04 नाल 315 बोर)।
7. 04 बॉडी छोटी/बडी।
8. 14 स्प्रिंग छोटी बडी लोहे की।
9. 10 ट्रगरनुमा पत्ती।
10. 02 लोहे की बाडी तमंचा बनाने की।
11. 05 लोहे की टूटू हुई पत्ती।
12. 02 मुडी हुई पत्ती बटनुमा।

13. 04 रेती चपटी, 01 रेती चकोर, 01 रेती गोल।
14. 01 वायर कटर।
15. 01 छोटी संडासी।
16. 03 पैंचकश छोटे बडे।
17. 02 आरी मय 06 ब्लेड लोहा काटने।
18. 02 हथोडे।
19. 01 बैल्डिंग मशीन।
20. 01 ग्रांडर मय 08 ब्लेड।
21. 03 रॉड बैल्डिंग करने वाली।
22. 01 प्लास।
23. 02 प्लास्टिक के कट्टे जिनमे अलग-अलग खाली बैग व पल्ली आदि।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त आलिम-</u>

1. मु0अ0सं0 83/17 धारा 147,148,149,307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 84/17 धारा 25 आयुध अधिनिमय थाना कैराना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 85/17 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 101/17 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 549/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनिमय थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।
4. का0 जितेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।
5. का0 राहुल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
6. का0 नितेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा बर्गर उधार न देने को लेकर हुए विवाद में विक्रेता को जान से मारने का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पल्कटी बरामद।

आज दिनांक 16.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा ग्राम बधेव में दबिश की कार्यवाही कर जान से मारने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त पलकटी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 15.04.2021 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बधेव में बर्गर उधार न देने को लेकर हुए विवाद में विकास सैनी द्वारा विक्रेता राजू पुत्र सतपाल पर धारदार हथियार (पल्कटी) से हमला कर घायल कर दिया गया। जिसके संबंध में विक्रेता के भाई दीपक ने थाने पर लिखित तहरीर दी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना आदर्शमण्डी पुलिस को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- विकास सैनी पुत्र रामू उर्फ रामफल निवासी ग्राम बधेव थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त पल्कटी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री संजय राणा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2. है0का0 अमित कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3. का0 निरंकार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।